यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री नरेन्द्र गुप्ता आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या–   06 / 2023

बउनवान

हंसराज आयु 38 वर्ष पुत्र श्री प्रभू लाल, जाति रेगर, निवासी धाकडखेडी, तहसील अन्ता जिला बारां (राज0)

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, अन्ता जिला बारां (राज0)

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :–1. श्री ज्ञान प्रकाश शर्मा, अभिभाषक (अपीलांट)
2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 29.08.2023

अपीलांट ने जर्ये अभिभाषक अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता के आदेश दिनांक 10.03.2022 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम धाकडखेडी तहसील–अन्ता की आराजी खसरा नम्बर 505 रकबा 0.20 है., किस्म–चारागाह पर अतिक्रमी मानकर 320 / – रूपये शास्ति एंव 3 माह के सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

अपीलांट ने अपील में अंकित किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलांट को सुनवाई व जवाबदेहीं का अवसर दिये बगैर किसी स्वतंत्र गवाह की साक्ष्य लिये बिना केवल मात्र हल्का पटवारी के बयानो के आधार पर अपीलांट को उक्त आराजी पर अतिक्रमी माना है। जबकी अपीलांट ने उक्त वर्णित आराजी पर कोई अतिक्रमण नही किया है। अपीलांट द्वारा तावान की राशि भी जमा करवा दी है तथा मौके पर उक्त भूमि खाली पड़ी हुई है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एवं दण्डादेश दिनांक 10.03.2022 निरस्त फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.09.19 11:16:08 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण [illegible] रेस्पोंडेंट को जर्ये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायाल[illegible] तलब किया गया। [illegible] प्राप्त होने पर विद्वान अभिभाषक अपीलांट व पेरोकार सरकार [illegible] बहस हेतु प्रकरण [illegible] किया गया।

दौराने बहस अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को जवाबदेही व साक्ष्य पेश करने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ है, और ना ही अपीलांट को कभी बेदखल किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने स्वतंत्र गवाह प्रस्तुत किये बिना ही केवल मात्र पटवारी हल्का के बयानों के आधार पर अतिक्रमी माना है। एवं अपीलांट द्वारा तावान की राशि भी जमा करवा दी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.03.2022 निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को विधिवत सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर उक्त निर्णय पारित किया है। अपीलांट द्वारा विवादित आराजी पर पूर्व में भी अतिक्रमण करने पर अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 11/2021 में पारित निर्णय दिनांक 17.02.2022 से बेदखल किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर ही अपीलांट को सजायाब किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने बहस उभयपक्ष की सुनी तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि विवादित आराजी पर अपीलांट पश्चात्वर्ती अतिक्रमी रहा है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी खसरा नम्बर 505 रकबा 0.20 है., किस्म–चारागाह, ग्राम धाकडखेडी पर सम्वत् 2077 में भी अतिक्रमण किया था जिसे मिसल नम्बर 11/2021 में पारित निर्णय दिनांक 17.02.2022 से बेदखल किया जाना पटवारी हल्का के बयान से प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, अन्ता द्वारा प्रकरण संख्या 29/2022 में पारित निर्णय दिनांक 10.03.2022 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 29.08.2022 को सरे इजलास लिखाया जाकर सुनाया

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर,बारां

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2023.09.19 11:16:08 IST
Reason: SelfAttested